

12/3/24 को पेश की तलबी एड
12/3/24 को पेश की तलबी एड
12/3/24 को पेश की तलबी एड

12/3/24 को पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/5/24
को पेश हो।

31/5/24 को पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/8/24
को पेश हो।

मुकदमा नम्बर- 752/2023
महाबीर बनाम साधूराम वगैरे


58/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1
बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के
विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।
वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों ने
बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद
विचाराधीन है, जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है।
उभय पक्षकारान को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई
से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में
जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद
किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 18.08.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
सुपरीकॉर्ट अधिकारी
नीमकाथाना (सज.)